न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :—गितेश श्री मालवीय, आर.ए.एस.

1. प्रकरण संख्या 21/2019 (राजसमन्द डिक्री)

नत्थे खां पिता एवज खां मुसलमान, निवासी जगपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती संजिदा बानु पति छितर खां, जाति मेवाती मुसलमान, निवासी जगपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
2. पीर खां पिता वक्तावर खां मुसलमान, निवासी जगपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
3. नाहर खां पिता अजीज खां मुसलमान, निवासी जगपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
4. मुराद खां पिता अजीज खां मुसलमान, निवासी जगपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
5. शेरू खां पिता अजीज खां मुसलमान, निवासी जगपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
6. छोटु खां पिता अजीज खां मुसलमान, निवासी जगपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
7. युसुब खां पिता अजीज खां मुसलमान, निवासी जगपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
8. इरफान खां पिता अजीज खां मुसलमान, निवासी जगपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
9. नफीस बानु पुत्री अजीज खां मुसलमान, निवासी जगपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
10. शाहिदा बेगम बेवा अजीज खां मुसलमान, निवासी जगपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
11. ईशाक खां पिता वक्तावर खां मुसलमान, निवासी जगपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
12. मेहबूब खां पिता वक्तावर खां मुसलमान, निवासी जगपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
13. बाबु खां पिता वक्तावर खां मुसलमान, निवासी जगपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, [illegible], जिला राजसमन्द(राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 16:03:16 IST
Reason: SelfAttested

2. <u>प्रकरण संख्या 22/2019 (राजसमन्द डिक्री)</u>

नत्थे खां पिता एवज खां मुसलमान, निवासी जगपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती संजिदा बानु पति छितर खां, जाति मेवाती मुसलमान, निवासी जगपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
2. पीर खां पिता वक्तावर खां मुसलमान, निवासी जगपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
3. नाहर खां पिता अजीज खां मुसलमान, निवासी जगपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
4. मुराद खां पिता अजीज खां मुसलमान, निवासी जगपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
5. शेरू खां पिता अजीज खां मुसलमान, निवासी जगपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
6. छोटु खां पिता अजीज खां मुसलमान, निवासी जगपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
7. युसुब खां पिता अजीज खां मुसलमान, निवासी जगपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
8. इरफान खां पिता अजीज खां मुसलमान, निवासी जगपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
9. नफीस बानु पुत्री अजीज खां मुसलमान, निवासी जगपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
10. शाहिदा बेगम बेवा अजीज खां मुसलमान, निवासी जगपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
11. ईशाक खां पिता वक्तावर खां मुसलमान, निवासी जगपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
12. मेहबूब खां पिता वक्तावर खां मुसलमान, निवासी जगपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
13. बाबु खां पिता वक्तावर खां मुसलमान, निवासी जगपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी,रेलमगरा प्रा.डिक्रीदिनांक 26.10.2017 व अंतिम डिक्री [illegible].05.2018 प्र.सं. 191/16

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 16:03:16 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित (वक्त बहस) :–1.श्री अक्षय पालीवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री ए.एच. चूड़ीगर अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
3. श्री एस. के. मेहता अभिभाषक रे.सं.2 से 13
4. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णयदिनांक01–08–2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जगपुरा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 470, रकबा 18 बिस्वा एवं 473 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त आराजियात में 101 बिस्वा 10 बिस्वांसी अर्थात कुल भूमि में से 1/2 हिस्सा वादी का है तथा 67 बिस्वा 10 बिश्वांसी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की है व 34 बिस्वा भूमि प्रतिवादी 8 से 12 की है। उक्त भूमियों का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है, जिससे भूमि के विकास एवं लगान जमा कराने में असुविधा होती है। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करें।

प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की आरे से विभाजन पर सहमति जाहिर की, जबकि प्रतिवादी संख्या 8 से 12 बावजूद अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी संख्या 13 द्वारा प्रकरण में कोई दाद नहीं चाही गयी।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 26–10–2017 को वादी का वाद स्वीकार का प्रारम्भिक डिक्री जारी की। तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 31–05–2018 को अंतिम डिक्री जारी की गयी। उक्त प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध अपील संख्या 21/2019 एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध अपील संख्या 22/2019 अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 03–06–2019 को अपील प्रस्तुत की गयी।

दोनों अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री ए. एच. चूड़ीगर उपास्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 से 19 की ओर से वकील श्री एस. के. मेहता उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 20 की ओर से पैरवी सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 16:03:16 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 2 से 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

उक्त दोनों अपीलें अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 191/2016 में पारित प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। ऐसी स्थिति में उक्त दोनों अपीलों में एक ही निर्णय करना हम उचित समझतें हैं। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर संलग्न की जावे।

वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया तथा बताया कि अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में विभाजन योजना पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत की, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई आदेश पारित नहीं किया एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को खाते की नकल प्राप्त करने पर हुई। जानकारी होते ही अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 7 द्वारा विभाजन पर सहमति दी गयी है तथा अन्य रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के वाद का खण्डन नहीं हुआ है एवं वाद में चाहे गये अनुतोष अनुसार वाद डिक्री किया जाना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय राजस्व लोक अदालत में डिक्री जारी की जो किसी भी सूरत में उचित नहीं है। विभाजन वाद में चाहे गये अनुतोष अनुसार नहीं होने से अपीलान्ट द्वारा अपनी आपत्ति प्रकट की गयी थी, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई निर्णय पारित नहीं किया है, जो विधि के नियमों के विपरीत है। अतः दोनों अपीलें स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 26–10–2017 व अंतिम डिक्री दिनांक 31–05–2018 निरस्त फरमायी जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलान्ट द्वारा चाहे गये अनुतोष अनुसार वाद डिक्री किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया किबंटवारा मन माफिक नहीं हुआ है। यदि प्रकरण रिमाण्ड किया जा[illegible] उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 16:03:16 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 7 द्वारा वादी के विभाजन के वाद पर अपनी सहमति जाहिर की गयी है, जबकि अन्य प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट अधिनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट/वादी के वाद का खण्डन नहीं हुआ है तथा विभाजन वादी द्वारा चाहे अनुतोष अनुसार नहीं होने से उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्ति भी प्रकट की गयी है, जिस पर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्तदोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधिनस्थन्यायालय द्वाराप्रकरण संख्या 191/2016 में पारित निर्णय वप्रारम्भिक डिक्री दिनांक26–10–2017 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 31–05–2018अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण में उभयपक्षों को पुनःसुनकर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित कर विभाजन की डिक्री जारी करें। यदि उक्त विभाजन से पक्षकार सहमत नहीं हैं तथा अपनी आपत्ति प्रकट करते हैं तो सर्वप्रथम उक्त आपत्तियों का निराकरण करें तत्पश्चात् विधि के आलोक में प्रकरण में निर्णय पारित कर प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री जारी करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29–09–2023 को उपस्थित रहें।निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे। निर्णय आज दिनांक 01–08–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 16:03:16 IST
Reason: SelfAttested